

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

ठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

नवान :- राजस्व वाद संख्या 64/2024

अमरदीप सिंह पुत्र श्री हरविन्द्र सिंह, जाति जटसिख, निवासी 1 डी, साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

किशन चंद पुत्र श्री श्यामाराम जाति अरोड़ा, निवासी 2-बी-24 सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर।

गुनीत कौर पुत्री परमिन्द्र सिंह, जाति जटसिख, निवासी 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

परमिन्द्र कौर पत्नी स्व० श्री बहादरपाल सिंह, जाति जटसिख, निवासी 16 वी वी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यारे खास इकबाल सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह निवासी चक 4 ओ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

मेजर सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, जाति अरोड़ा, निवासी श्रीगंगानगर।

रमेश पुत्र दर्शनदास जाति अरोड़ा, निवासी श्रीगंगानगर।

वनीत कौर पुत्री हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

हरविन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री हरबख्श सिंह जाति जटसिख निवासी कृपाल सागर, दरयापुर, जिला शहीद भगत सिंह नगर (पंजाब)।

हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

—वादीगण

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र श्री गुरबक्श लाल जाति अरोड़ा निवासी 54 एल ब्लाक, श्रीगंगानगर।
2. रामेशवर लाल पुत्र चाननमल जाति महेश्वरी निवासी श्रीगंगानगर।
3. एच०डी०एफ०सी० बैंक लिमिटेड शाखा श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

—: उपस्थित अभिभाषकगण :-

- | | |
|---|--------------------|
| 1. श्री प्रैटी सिंह | वादीगण |
| 2. पैरोकार राज श्रीगंगानगर | प्रतिवादी संख्या 4 |
| प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। | |



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



—:: निर्णय ::—

दिनांक :- 27.09.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि स्थित गांव 1 जैड पटवार हल्का 4 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/41 के मुरब्बा नम्बर 56 के किला नं0 1 ता 23 प्रत्येक सालम नहरी मय बाग मय खाला कुल 5.287 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 58 के किला नं0 7, 8, 9 प्रत्येक सालम, किला नं0 10 व 11 प्रत्येक में 0.228 हैक्टेयर, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 प्रत्येक सालम, 20 में 0.228 हैक्टेयर कुल 3.214 हैक्टेयर, इस प्रकार उपरोक्त दोनों मुरब्बाजात में कुल 8.501 हैक्टेयर नहरी मय बाग मय खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी की प्रति संलग्न है। चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा काफी अरसा पूर्व विभाजन कर लिया था एवं वर्तमान में उसी अनुसार काबिज काश्त है, जो कि निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी संख्या 1 अमरदीप सिंह :-

चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 7 में 0.206 हैक्टेयर, 8 में 0.206 हैक्टेयर, 9 में 0.206 हैक्टेयर, 10 में 0.186 हैक्टेयर यानि कुल 0.804 हैक्टेयर नहरी भूमि वादी संख्या 1 अमरदीप सिंह के कब्जा काश्त में है।

(ख) वादी संख्या 2 किशन चन्द एवं वादी संख्या 6 रमेश :-


चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 1/1 में 0.228 हैक्टेयर बाग, 1/2 में 0.025 हैक्टेयर खाला, 10 में 0.253 हैक्टेयर, 11 में 0.253 हैक्टेयर, 20 में 0.253 हैक्टेयर, 21 में 0.253 हैक्टेयर, यानि कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी मय खाला (1.240 हैक्टेयर बाग व 0.025 हैक्टेयर खाला) भूमि वादी संख्या 2 किशन चन्द एवं वादी संख्या 6 रमेश के कब्जा काश्त में है।

(ग) वादीया संख्या 3 गुनीत कौर :-

चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 17 में 0.141 हैक्टेयर, 18 में 0.141 हैक्टेयर, 19 में 0.141 हैक्टेयर, 20 में 0.127 हैक्टेयर, यानि कुल 0.550 हैक्टेयर नहरी भूमि वादीया संख्या 3 गुनीत कौर के कब्जा काश्त में है।

(घ) वादीया संख्या 4 परमिन्द्र कौर :-

चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 2/1 में 0.228 हैक्टेयर, 2/2 में 0.025 हैक्टेयर, 9 में 0.253 हैक्टेयर, 12 में 0.253 हैक्टेयर, 19 में 0.253 हैक्टेयर, 22 में 0.202 हैक्टेयर, यानि कुल 1.214 हैक्टेयर नहरी मय खाला (1.189 हैक्टेयर बाग व नहरी व 0.025 हैक्टेयर खाला) भूमि वादीया संख्या 4 परमिन्द्र कौर के कब्जा काश्त में है।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(इ) वादी संख्या 5किशन चन्द :-

चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 23 में 0.020 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 5 मेजर सिंह के कब्जा काशत में है।

(च) वादीया संख्या 7वनीत कौर :-

चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 17 में 0.065 हैक्टेयर, 18 में 0.065 हैक्टेयर, 19 में 0.065 हैक्टेयर, 20 में 0.058 हैक्टेयर यानि कुल 0.253 हैक्टेयर नहरी भूमि वादीया संख्या 7 वनीत कौर के कब्जा काशत में है।

(छ) वादी संख्या 8हरविन्द्रपाल सिंह :-

चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 3/1 में 0.228 हैक्टेयर, 3/2 में 0.025 हैक्टेयर, 8 में 0.253 हैक्टेयर (बाग), 13 में 0.253 हैक्टेयर (बाग), 18 में 0.253 हैक्टेयर (बाग), 23 में 0.043 हैक्टेयर यानि कुल 1.055 हैक्टेयर नहरी मय बाब मय खाला (नहरी 0.043 हैक्टेयर, बाग 0.987 हैक्टेयर, खाला 0.025 हैक्टेयर) कृषि भूमि वादी संख्या 8 हरविन्द्रपाल सिंह के कब्जा काशत में है।

(झ) वादी संख्या 9हरविन्द्र सिंह :-

चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 7 में 0.047 हैक्टेयर, 8 में 0.047 हैक्टेयर, 9 में 0.047 हैक्टेयर, 10 में 0.042 हैक्टेयर, 11 में 0.228 हैक्टेयर, 12 में 0.253 हैक्टेयर, 13 में 0.253 हैक्टेयर, 14 में 0.253 हैक्टेयर, 15 में 0.253 हैक्टेयर, 17 में 0.047 हैक्टेयर, 18 में 0.047 हैक्टेयर, 19 में 0.047 हैक्टेयर, 20 में 0.043 हैक्टेयर यानि कुल 1.607 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 8 हरविन्द्र सिंह के कब्जा काशत में है।

(ञ) प्रतिवादीसंख्या 1 विजय कुमार व 2रामेश्वर लाल :-

चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 4/1 में 0.228 हैक्टेयर, 4/2 में 0.025 हैक्टेयर, 5/1 में 0.228 हैक्टेयर, 5/2 में 0.025 हैक्टेयर, 6 में 0.253 हैक्टेयर, 7 में 0.253 हैक्टेयर, 14 में 0.253 हैक्टेयर, 15 में 0.253 हैक्टेयर, 16 में 0.038 हैक्टेयर, 17 में 0.177 हैक्टेयर यानि कुल 1.733 हैक्टेयर में से बाग 1.683 हैक्टेयर व 0.025 हैक्टेयर खाला प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जा काशत में है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उक्त वर्णित अनुसार अपने-अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि पर लम्बे अरसा से काबिज काशत है एवं काफी मेहनत व पैसा खर्च कर कृषि भूमि पर सुधार कार्य किया हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को कब्जा व काशत के अनुसार वादीगण ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने-अपने हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आज-कल कहकर टाल-मटोल करते और आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये, यही वाद हेतुक है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना खाता विभाजन करवाये कृषि भूमि को विक्रय करने हेतु उतारू है, जिससे वादीगण को अंदेशा है कि वे, वादीगण के कब्जा काशत की कृषि भूमि के हिस्से को विक्रय कर



सकते हैं। इस प्रकार से उक्त वर्णित कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाया जाना न्यायोचित एवं अपेक्षित है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा बिना खाता विभाजन करवाये उक्त कृषि भूमि अथवा उसके किसी भाग को अन्यत्र रहन, बैय एवं अन्य तरीके से हस्तांतरित कर दिया जाता है तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है कि वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को चरण संख्या 3 के अनुसार खाता में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मदाखलत बेजा करने से बाज व ममनू रहें। वादीगण को अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि को अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना बिना वाद लाये सम्भव नहीं रहा है इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि वादीगणके हिस्सा की कृषि भूमि उनके कब्जा काश्त अनुसार करवाकर अलग खाता कायम कर अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर सकें। प्रतिवादी संख्या 3, एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड शाखा श्रीगंगानगरहै, जिसके पास भूमि रहन है इसलिए पक्षकार बनाया गया है, इसके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 भूमिधारी होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, इनके विरुद्ध कोई अनुतोष चाहा नहीं है। वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर अन्दर अवधि प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दावा वादीगण के पक्ष में एवं विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:-

- (क) कि डिक्री वादीगण के पक्ष में इस आशय की पारित की जावे कि चरण संख्या 3 में वर्णित कब्जा व काश्त के अनुसार कृषि भूमि की घोषणा की जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से अलग-अलग से खाता कायम किया जावे।
- (ख) कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है कि वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चरण संख्या 3 के अनुसार में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मदाखलत बेजा करने से बाज व ममनू रहें।
- कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायसंगत हो व वादी के हित में हो प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2, 3 की विधिवत तामील होने एवम् प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार राज तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वकील बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वादीगण द्वारा प्रकरण खाता विभाजन का प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2071-2074 चक 1 जैड, पटवार हल्का 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जैड, भू.अ.नि.क्षेत्र. चकमहाराजका, खाता संख्या 81/14 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी स्युक्त खाता की आराजी है एवम् वादीगण भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 5496 दिनांक 27.09.2024 के प्रस्ताव पेश किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में वकील वादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए मुताबिक प्रस्ताव वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

॥ आदेश ॥

वाद वादीगण मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है :-

क्र.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	अमरदीप सिंह पुत्र हरविन्द्र सिंह(वादी संख्या 1)	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 7 में 0.206 हैक्टेयर, 8 में 0.206 हैक्टेयर, 9 में 0.206 हैक्टेयर, 10 में 0.186 हैक्टेयर यानि कुल 0.804 हैक्टेयर नहरी
2	किशन चन्द पुत्र श्यामा राम(वादी संख्या 2) रमेश पुत्र दर्शनदास (वादी संख्या 6)	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 1/1 में 0.228 हैक्टेयर बाग, 1/2 में 0.025 हैक्टेयर खाला, 10 में 0.253 हैक्टेयर, 11 में 0.253 हैक्टेयर, 20 में 0.253 हैक्टेयर, 21 में 0.253 हैक्टेयर, यानि कुल 1.265 हैक्टेयर बाग मय खाला
3	गुनीत कौर पुत्री परमिन्द्र सिंह(वादी संख्या 3)	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 17 में 0.141 हैक्टेयर, 18 में 0.141 हैक्टेयर, 19 में 0.141 हैक्टेयर, 20 में 0.127 हैक्टेयर, यानि कुल 0.550 हैक्टेयर नहरी भूमि
4	परमिन्द्र कौर पत्नी स्व. बहादुरपाल सिंह	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 2/1 में 0.228 हैक्टेयर, 2/2 में 0.025 हैक्टेयर, 9 में 0.253 हैक्टेयर, 12 में 0.253 हैक्टेयर, 19 में 0.253 हैक्टेयर, 22 में 0.202 हैक्टेयर, यानि कुल 1.189 हैक्टेयर बाग व नहरी व 0.025 हैक्टेयर खाला)
5	मेहर सिंह पुत्र दर्शन सिंह की मृत्यु हो चुकी है एवम् राजस्व रिकॉर्ड में वारिसान 1. जितेन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह, 2.	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 23 में 0.020 हैक्. कुल 0.020 हैक्. ढाणी

	6परमजीत कौर पत्नी मेजर सिंह, 3. रविन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह, 4. राजेन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह, 5. सुखपाल कौर पुत्री मेजर सिंह का रकबा	
6	वनीत कौर पुत्री हरविन्द्र सिंह (वादी संख्या 7)	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 17 में 0.065 हैक्टेयर, 18 में 0.065 हैक्टेयर, 19 में 0.065 हैक्टेयर, 20 में 0.058 हैक्टेयर यानि कुल 0.253 हैक्टेयर नहरी भूमि
7	हरविन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री हरबख्शा सिंह (वादी संख्या 8)	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 3/1 में 0.228 हैक्टेयर, 3/2 में 0.025 हैक्टेयर, 8 में 0.253 हैक्टेयर (बाग), 13 में 0.253 हैक्टेयर (बाग), 18 में 0.253 हैक्टेयर (बाग), 23 में 0.043 हैक्टेयर यानि कुल 1.055 हैक्टेयर नहरी मय बाग मय खाला (नहरी 0.043 हैक्टेयर, बाग 0.987 हैक्टेयर, खाला 0.025 हैक्टेयर)
8	हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह (वादी संख्या 9)	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 7 में 0.047 हैक्टेयर, 8 में 0.047 हैक्टेयर, 9 में 0.047 हैक्टेयर, 10 में 0.042 हैक्टेयर, 11 में 0.228 हैक्टेयर, 12 में 0.253 हैक्टेयर, 13 में 0.253 हैक्टेयर, 14 में 0.253 हैक्टेयर, 15 में 0.253 हैक्टेयर, 17 में 0.047 हैक्टेयर, 18 में 0.047 हैक्टेयर, 19 में 0.047 हैक्टेयर, 20 में 0.043 हैक्टेयर यानि कुल 1.607 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि
9	विजय कुमार पुत्र गुरबक्श लाल (प्रतिवादी संख्या 1), रामेश्वर लाल पुत्र चायननमल (प्रतिवादी संख्या 2)	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/14 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 4/1 में 0.228 हैक्टेयर, 4/2 में 0.025 हैक्टेयर, 5/1 में 0.228 हैक्टेयर, 5/2 में 0.025 हैक्टेयर, 6 में 0.253 हैक्टेयर, 7 में 0.253 हैक्टेयर, 14 में 0.253 हैक्टेयर, 15 में 0.253 हैक्टेयर, 16 में 0.038 हैक्टेयर, 17 में 0.177 हैक्टेयर यानि कुल 1.733 हैक्टेयर में से बाग 1.683 हैक्टेयर व 0.025 हैक्टेयर खाला
10	शेष खाता बदस्तूर रहेगा।	



(अनवान अमरदीप सिंह वनाम विजय कुमार
राजस्व वाद संख्या :- 64/2024)

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 27.09.2024 को जारी किया गया।



(रणजीत चव्हाण)
उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पुष्प सिंगानगर
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर